(218)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा.सं./2017/2695

1. राजेश्वरी बाई पत्नी फूलचन्द्र भरिया
2. रामकृष्ण पिता रामजनम भरिया
3. प्रेम पिता रामजनम भरिया

सभी निवासीगण ग्राम ताराड़ाड तहसील व जिला – अनूपपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 18-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18/8/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
18-8-17 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक – 21/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 24.7.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, ग्राम सकरिया तहसील अनूपपुर में स्थित आराजी ख.नं. 251/1ग रकवा 1.011 है0 प्रेम पिता रामजनम भरिया ख.नं. 250/3ख रकवा 0.202 है0 ख.नं. 251/1ख रकवा 2.225 है0 राजेश्वरी पत्नी फूलचंद भरिया एंव 251/1क रकवा 1.620 है0 रामकृत पिता रामजनम भरिया ने एरेना किरकिट्ट जाति उराव से वर्ष 1994 में पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/अनूपपुर/भूरा/2017/2695

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
28 -9-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 21/अपील/06-07 में में पारित आदेश दिनांक 24.7.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2-कलेक्टर जिला अनूपपुर द्वारा अपने पैरा -2 संक्षिप्त विवरण की विवेचना की गई है। उसे दौहराने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का सदस्य न मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। उनके द्वारा भूमि छलकपट से नहीं बल्कि पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा कय की गई है। निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 3-प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के अनुसार किसी ऐसी जनजाति के जिसे कि राज्य सरकार ने आदिम जनजाति घोषित किया हों किसी भूमिस्वामी का अधिकार किसी गैर जनजाति के व्यक्ति को अन्तरणीय नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में इस बात की कोई निश्चयातमक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि आवेदक आदिम	

जनजाति के सदस्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आवेदक के पक्ष में मुन्नेलाल, सुखराम, रामरतन, बुधराम, आदि के श्पथपत्र संलग्न है जिसमें लेख है कि आवेदक लगभग 50 वर्ष पूर्व ताराडार जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश आ गये थे। स्पष्ट है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत आदिम जाति के लिये जारी अधिसूचना उत्तर प्रदेश के क़िसी जनजाति के लिये नहीं होगी।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 21/अपील/06–07 में में पारित आदेश दिनांक 24.7.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सरहीन होने से अस्वीह की जाती है।

सदस्य